

सेल नोटिस

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर के आदेशानुसार मैसर्स श्री लक्ष्मी सिमेन्ट प्रा० लिमिटेड (समापन में), जी-1/44 से 47 रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डोन सिटी, जिला करौली में स्थित कम्पनी के प्लान्ट एवं मशीनरी एवं टीन शेड को बेचने का आदेश पारित किया है। उक्त प्लान्ट एवं मशीनरी एवं टीन शेड का इस कार्यालय के पास एक ऑफर को बेचने का आदेश पारित किया है। उक्त प्लान्ट एवं मशीनरी एवं टीन शेड का आरक्षित मूल्य रु 48,08,028/- रखा गया है। जिसको खरीदने के लिये धरोहर राशि रूपये 4,80,800/- रूपये रखी गई है। जो कि शासकीय समापक ऑफ मैसर्स श्री लक्ष्मी सिमेन्ट प्रा० लिमिटेड (समापन में) को देय होगी।

इस सम्पत्ति का निरीक्षण इच्छुक खरीददार दिनांक 15.01.2019 को कर सकते हैं। इच्छुक खरीददार कार्यालय शासकीय समापक जयपुर से नियम एवं शर्तें व टेन्डर फार्म कार्यालय से 1000/- रु जमा करके प्राप्त कर सकते हैं एवं इस टेन्डर फार्म को जमा कराने की अन्तिम दिनांक 22.01.2019 सायं 5.00 बजे तक रखी गई है। कार्यालय शासकीय समापक जयपुर में सभी खरीददार के समाने टेन्डर दिनांक 23.01.2019 को प्रातः 11.00 बजे खोले जायेंगे एवं सभी खरीददारों को बोली लगाने का मौका प्रदान किया जायेगा जिस किसी को अपनी राशि बढ़ानी हो वो बढ़ा सकते हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर को उक्त टेन्डरों को बिना किसी कारण बताये भी निरस्त करने का अधिकार होगा।

जयपुर

दिनांक 4/1/2019

(यू.एस. पाटोले)

शासकीय समापक,

अधिनस्थ राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर
कारपोरेट भवन, जी-6-7, सिविल लाईन्स, बाईस गौदाम, जयपुर
दूरभाष न. 2981913, 2981915